राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील नम्बर 495/2011 जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी

करापवंचन वार्ड–III वृत–द्वितीय,जयपुर .....अपीलार्थी

बनाम

श्री किशनलाल वाहन चालक एवं

माल प्रभारी जरिये मैसर्स आर के आर टी

गुड्स कैरियर दिल्ली हाल जयपुर .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष

उपस्थितः

श्री आर.के.अजमेरा,

उपराजकीय अभिभाषक .... अपीलार्थी की ओर से

——— .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक 17.03.2015

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 83 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 सपठित धारा 9 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम,1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.08.2010 उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, जयपुर प्रस्तुत की गयी है।

उप राजकीय अभिभाषक श्री आर के अजमेरा उपस्थित। प्रत्यर्थी को कई बार आवाज लगवाने पर भी उपस्थित नहीं हुये। अतः एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उप राजकीय अभिभाषक श्री अजमेरा का कथन है कि आदेश दिनांक 25.08.2010 द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, जयपुर नियम विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है अतः इसे अपास्त किया जाय। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश से उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, जयपुर ने शास्ति अन्तर्गत धारा 78(5) तादादी रूपये 68,105/–, कर रू. 20,890/– एवं अधिभार रू. 02,650/– कुल रू. 91,645/– को निरस्त कर नियमों की अनदेखी की है। अतः इसे अपास्त किया जाय।

श्री अजमेरा ने प्रकरण के तथ्य बताते हुये आग्रह किया कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, करापवंचन तृतीय वृत द्वितीय,जयपुर द्वारा दिनांक 24.10.2001 को वाहन संख्या डी एल–आई जी बी 2707 को कुंडा पुलिस चौकी एवं पुरानी चुंगीनाका के मध्य चैक किया। वक्त चैंकिंग प्रस्तुत दस्तावेज में मैसर्स आर के आर टी गुड्स कैरियर दिल्ली के चालान नम्बर 14155 एवं 14156 दिनांक 24.10.2001 एवं बिल्टी नम्बर 303790 एवं 303793 दिनांक

23.10.2001 में संलग्न बिलों के पाये गये। दस्तावेजों में माल का परिवहन दिल्ली से मुम्बई केलिये किया जाना घोषित पाया गया। परन्तु वाहन का जयपुर शहर ले जाया जाना सन्देहास्पद मानते हुये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में वाहन चालक किशनलाल से पूछे जाने पर कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं मिला। इसके उपरान्त करापवंचन होने का सन्देह मानते हुये माल प्रभारी को दस्तावेज प्रमाणित कराने केलिये राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा 78 (4)(ए) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। प्रेषक व्यवसाईयों की एल सी नम्बरों की जांच करने पर दोनों नम्बर गलत पाये गये। नोटिस की पालना में दस्तावेजों अथवा प्रेषक व्यवसाईयों की सत्यता के सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत रू. 02,27,350/— पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ती रू. 68,105/— कर रू. 20,890/— एवं अधिभार रू. 02,650/— कुल रू. 91,645/— आरोपित किये। जिसके विरूद्ध व्यवसाईयों ने उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। श्री अजमेरा का कथन है कि उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, जयपुर द्वारा अपने त्रुटिपूर्ण आदेश में इस पूरे प्रकरण को समाप्त कर दिया जो कि नियम विरूद्ध है तथा रिकार्ड एवं दस्तावेजो के भी विरूद्ध है। अतः उक्त आदेश को अपास्त किया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आदेश जारी करने से पूर्व दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलाधीन आदेश को देखने से यह भी ज्ञात होता है कि फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नोटिस मिलने पर उसका जवाब कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 78(5) राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के तहत् बिना किसी ठोस व उचित आधार के एवं बिना अपीलार्थी का करापवचन का दोषीमनोभाव सिद्ध किये एवं बिना प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या एवं बोगस प्रमाणित किये अपीलार्थी पर शास्ती के आरोपण की कार्यवाही की गयी। प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवहनीत माल का राजस्थान राज्य में ऊतारे जाने का कोई प्रमाण नही है और न ही इस बात के निर्देश अथवा अनुमान उपस्थित है कि परिवहनीत माल जयपुर बाईपास से होकर बिना जयपुर शहर में प्रवेश हुये मुम्बई भेजा जावेगा। धारा 78(5) के अवलोकन से स्पष्ट है कि केवल निम्न दो शर्तो पर ही शास्ती आरोपित की जावेगी —

(1) यदि माल प्रभारी माल का परिवहन धारा 78 (2)(ए) के प्रावधानो के विपरीत करते या (2) उसके पास दस्तावेज या उसकी उद्घोषणा स्पष्टतः फर्जी अथवा जाली है।

पत्रावली के अवलोकन से कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि वाहन चालक श्री किशनलाल द्वारा दिये गये बिल्टी इत्यादि फर्जी या जाली थे। इसके साथ ही कर निर्धारण अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश में यह भी लिखा है कि वाहन चालक के अतिरिक्त वाहन मे कोई उपस्थित नही था इससे किस नियम की अवहेलना होती है यह नहीं लिखा गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवहनीत माल दिल्ली से गुण्वई केलिये जा रहा था एवं वान्छित दस्तावेजों से समर्थित था। परन्तु सक्षम अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजों की विस्तृत जांच नहीं की और न ही उनको मिथ्या या बोगस प्रमाणित किया। धारा 78 (5) इस प्रकार है —

The Incharge of the check-post or the officer empowered under sub-section (3). After having given 1[the owner of the goods or a person authorized in writing by such owner or the person in-charge of the goods] a reasonable opportunity of being heard and after having held such enquiry as he maydeem fit. Shall impose on him for possession or movement of goods, whether sezed or not, in violation of the provisions of clause (a) of sub-section (2) or for submission of false or forged documents or declaration. 2{a penalty equal to thirty percent of the value of such goods}.

इस धारा को पढने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जब तक दस्तावेजो को जाली प्रमाणित नहीं कर दिया जाय तब तक शास्ती का आरोपण नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश में कहीं भी यह नहीं बताया कि जयपुर शहर से हो कर जाने पर किस प्रावधान अथवा धारा का उल्लंघन होता है। जो शास्ती आरोपित की गयी है उससे स्पष्ट है कि मात्र वाहन चालक श्री किशनलाल के जयपुर से होकर माल परिवहनीत करने के सम्बन्ध में असन्तोषप्रद उत्तर दिये जाने के कारण की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपने आदेश में प्रेषक फर्मो को बोगस माना है। परन्तु अपने आदेश में कहीं भी इस निष्कर्ष पर पहूंचने का कोई ठोस कारण नहीं दिया है।

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहूंचते है कि उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित प्रतीत होता है एवं इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष